

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/समान परीक्षा(7)/22402/2025/

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा।

- विषय :-** राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अन्तर्गत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा — 2024-25 के समय विभाग चक्र में आंशिक संशोधन बाबत।
- प्रसंग :-** शासन सचिव महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर का अ.शा पत्र क्रमांक : F 1(1)TE/2024-00154 जयपुर, दिनांक : .04.2025
- सन्दर्भ :-** इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 20.03.2025 एवं 22.03.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों द्वारा राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा) के आयोजन के संबंध में वार्षिक परीक्षा का समय विभाग चक्र जारी किया गया था।

उक्त क्रम में दिनांक : 04.05.2025 को आयोजित होने वाली नीट-2025 परीक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त प्रासंगिक पत्र के दृष्टिगत सन्दर्भित निर्देशों द्वारा जारी समय विभाग चक्र के अन्तर्गत अग्रांकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्रम संख्या	पूर्व में उल्लेखित दिनांक एवं पारी	कक्षा	विषय का नाम	संशोधित दिनांक एवं पारी
1	02.05.2025 शुक्रवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)	9	सामाजिक विज्ञान	07.05.2025 बुधवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)
2	03.05.2025 शनिवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)	9	स्वास्थ्य शिक्षा	08.05.2025 गुरुवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)
3	02.05.2025 शुक्रवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)	11	कृषि रसायन/रसायन विज्ञान/व्यावसायिक अध्ययन/इतिहास	09.05.2025 शुक्रवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)
4	03.05.2025 शनिवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)	11	गृह विज्ञान	10.05.2025 शनिवार प्रथम पारी (प्रातः 07:45 से प्रातः 11:00 बजे तक)

उक्त विषयों के अतिरिक्त शेष विषयों की परीक्षाएँ सन्दर्भित समय विभाग चक्र दिनांक : 22.03.2025 के अनुसार यथावत रहेगी।

संलग्न :- यथोक्त।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)



**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई-मेल)।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था हेतु (जरिये ई-मेल)।
7. **उपनिदेशक, माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन किये जाने बाबत।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा (जरिये ई-मेल)।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई-मेल)।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
13. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
14. समस्त संस्था-प्रधान।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन  
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)  
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)